

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-716/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.199-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(252)-2022


लखनऊ: दिनांक: ²⁴22 अगस्त, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2020 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी, शब्द "बीस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "दस करोड़ रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,


(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव